न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 70/2024 | दायर दिनांक 27.03.2024 | निर्णय दिनांक 18.12.2024

1. कैलाश खटीक पुत्र श्री रामप्रसाद खटीक, निवासी पन्नाधाय सर्किल, आजादनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

— वादी

बनाम

1. सालगराम पुत्र श्री उदयलाल मेघवाल निवासी झालावाड (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
3. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाडा।

— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 129, 131, 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता वादी श्री देईलाल रणवा

2—अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 श्री सुरेश व्यास।

3— प्रतिवादी संख्या 02 की और से पेरोकार सरकार।

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जीपिया पटवार हल्का मालोला भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 129/7 रकबा 0.3098 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात को वाद में आगे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। सरहद जीपिया पटवार हल्का मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर दर्ज है। वादपत्र में वर्णित आराजी नम्बर 129/6. 129/7 व वादपत्र में वर्णित आराजी नम्बर 129/2 जो कि एक ही आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा से बने है. उक्त भूमि जो कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा श्याम लाल पुत्र श्री छीतरमल सरगरा निवासी हीरा जी का खेड़ा को आंवटन हुई है।

वादी द्वारा मूल आराजी नम्बर 129/2 में से 11 बिस्वा भूमि कय की गयी व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भी आराजी नम्बर 129/2 में से ही 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि कय की है उक्त आराजी जो कि संयुक्त शामलाती अविभाजित भूमि है। हाल ही दिनांक 10 फरवरी 2024 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी का मौके पर जिस जगह पर कब्जा है, उस भूमि को अपनी होना बताकर वादी को बेदखल करने की धमकी दी. इस पर वादी द्वारा जानकारी की तो पता चला कि आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा में से ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भूमि कय की है, उक्त आराजी का किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा विभाजन नही हुआ है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एवं पूर्व के खातेदारो द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के आराजी नम्बर 129/6, 129/7 अलग नम्बर कायम कर मनमकसूद तरीके से आराजी नम्बर 129/2 जिस जगह तरमीम था, उस जगह आराजी नम्बर 129/6. 129/7 फीट कर दिया गया व आराजी नम्बर 129/2 के सटमा आराजी नम्बर 129 जो कि रोड़ नुमा था उसकी जगह गलत तरीके से आराजी नम्बर 129/2 को तरमीम कर दिया गया है, जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा राजस्व रेकार्ड में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत तौर पर नवीन बटा नम्बर कायम कर आराजी नम्बर 129/6, 129/7 अपने नाम पर दर्ज होने की आड़ मे वादी को जबरन मौके से बेदखल करने व उक्त भूमि को संपरिवर्तन करा प्लॉटिंग करने व भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को कई बार कहा कि आराजी नम्बर 129/6, 129/7 जो कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के मनमसकूद तरीके से राजस्व कर्मचारीयो की मिलीभगती से कायम किये है, जिसे विलोपित करा आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा संयुक्त रूप मे दर्ज करा, हक हिस्से अनुसार विभाजन कराने व साथ ही पूर्ववत नक्शे अनुसार ही तरमीम कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 20 मार्च 2024 को साफ तौर इंकार कर दिया व वादी को जबरन बेदखल करने व अन्य को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। इस कारण से वादी को यह वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करने की नौबत पेश आयी है।

प्रतिवादी संख्या 01 वादी को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर देगा व भूमि को संपरिवर्तन करा अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण कर देगा तो वादी अपनी भूमि से वंचित हो जायेगा वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 वादी को सरहद जीपिया पटवार हल्का मालोला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टयर, आराजी नम्बर 129/7 रकबा 0.3098 हैक्टयर भूमि जो राजस्व नक्शे मे गलत तरीके से तरमीम है, वादी का कब्जा है, जिससे वादी को जबरन बेदखल नही करे व वादी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा नही करे व न ही किसी अन्य से करावे व उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण आदि नहीं करे व प्रतिवादीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

सरहद जीपिया पटवार हल्का मालोला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टयर, आराजी नम्बर 129/7 रकबा 0.3098 हैक्टयर व वादी की आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर जो कि एक ही नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा है, राजस्व कर्मचारीयो द्वारा गलत तौर पर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के अलग अलग बटा नम्बर कायम किये है, इस कारण से आराजी नम्बर 129/7, 129/6, 129/2 तीनो नम्बरो को संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा भूमि जिसमे वादी का 11 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 01 एक का 02 बीघा 09 बिस्वा के अनुसार हक हिस्सा दर्ज कराया जाने व पूर्व मे आराजी नम्बर 129/2 तरमीम है, उसी अनुसार उक्त तीनो नम्बरो को तरमीम करायी जाने की घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 एक सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है और कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हे धारा 80 जा०दी० के तहत 2 माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है और वादीगण नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इंतजार करेगे तो इससें पूर्व ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात से वादी को बेदखल कर देगे व भूमि को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण कर देगे तो वादी का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। ऐसी सूरत मे बिना नोटिस दिये ही वादपत्र पेश है तथा धारा 80 (2) जा०दी० का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 वादी को सरहद जीपिया पटवार हल्का मालोला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टयर, आराजी नम्बर 129/7 रकबा 0.3098 हैक्टयर भूमि जो राजस्व नक्शे में गलत तरीके से तरमीम है, वादी का कब्जा है, जिससे वादी को जबरन बेदखल नही करे व वादी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा नही करे व न ही किसी अन्य से करावे व उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण आदि नही करे व प्रतिवादीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये गये प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 सालगराम की और से ईकबालिया जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी ने जो प्रार्थना दर्ज की है, जो सही होकर स्वीकार है। सरहद जीपिया पटवार हल्का मालोला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टयर, आराजी नम्बर 129/7 रकबा 0.3098 हैक्टयर व वादी की आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर जो कि एक ही नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा है, राजस्व कर्मचारीयो द्वारा गलत तौर पर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के अलग अलग बटा नम्बर कायम किये है, इस कारण से आराजी नम्बर 129/7. 129/6, 129/2 तीनो नम्बरो को संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा भूमि जिसमे वादी का 11 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 01 का 02 बीघा 09 बिस्वा के अनुसार हक हिस्सा दर्ज कराया जाने व पूर्व मे आराजी नम्बर 129/2 तरमीम है, उसी अनुसार उक्त तीनो नम्बरो को तरमीम करायी जाने की घौषणात्मक डिकी जारी फरमा दिये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 जवाबदाता को कोई आपत्ति नही है।

वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जीपिया के आराजी संख्या 129/2 रकबा 0.1391 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय खातेदार कैलाश खटीक पुत्र रामप्रसाद खटीक हिस्सा जाति खटीक सा० पन्नाधाय सर्कल, आजादनगर भीलवाडा, भीलवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादपत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित तथ्य के अन्तर्गत ग्राम जीपीया के नामान्तरण संख्या 132 में आराजी संख्या 129 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा किस्म बंजड, सिवाय चक काबिल काश्त में से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.9.1991 से श्याम लाल पिता छीतरमल सरगरा सा० हीरा जी खेडा के नाम पर 129/2 रकबा 3 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि को गैर खातेदारी के रूप में दर्ज किया गया है। वादपत्र की चरण तख्या 04 में वर्णित तथ्य के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जीपीया के जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 के अनुसार आराजी संख्या 129/2 रकबा 3 बीघा मे से नामान्तरण संख्या द्वारा 257 दिनांक 10.01.2006 जरिये विक्रय पत्र 2–09 बीघा भूमि खातेदार रेखा पत्नि जगदीश जीनगर एवं लाडकंवर पत्नि गोपाल जीनगर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

वादपत्र की चरण संख्या 05 में वर्णित तथ्य के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जीपिया के आराजी संख्या 129/6, 129/7 एवं 129/2 का मौका पटवारी हल्का मालोला द्वारा 02.07.2024 मौका देखाकर मौका रिपोर्ट बनाई जिसके अनुसार आराजी संख्या 129/6, 129/7 मौके पर बंजड पड़ी हुई है एवं पेड–पौधे, अंग्रेजी बबूल के पेड उगे हुए है। इसी के साथ आराजी संख्या 129/6, 129/7 वर्तमान में खातेदार सालगराम पिता उदयलाल मेघवाल के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 129/2 में मौके पर डामर रोड बनी हुई है जो कि फोरलेन से ग्राम जीपिया में जाने वाली मुख्य सड़क है यह डामर रोड पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा बनाई गई।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 02 की और से पैराकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 02 की और से जवाब तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र कमांक विधि/2024/462 दिनांक 03.07.2024 से प्रेषित किया जो शामिल पत्रावली है।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि सरहद जीपिया पटवार हल्का मालोला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टयर, आराजी नम्बर 129/7 रकबा 0.3098 हैक्टयर व वादी की आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर जो कि एक ही नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा है, राजस्व कर्मचारीयो द्वारा गलत तौर पर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के अलग अलग बटा नम्बर कायम किये है, इस कारण से आराजी नम्बर 129/7, 129/6, 129/2 तीनो नम्बरो को संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा भूमि जिसमे वादी का 11 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 01 एक का 02 बीघा 09 बिस्वा के अनुसार हक हिस्सा दर्ज कराया जाने व पूर्व मे आराजी नम्बर 129/2 तरमीम है, उसी अनुसार उक्त तीनो नम्बरो को तरमीम करायी जाने की घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 एक सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में ईकबालिया जवाब में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि सरहद जीपिया पटवार हल्का मालोला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टयर, आराजी नम्बर 129/7 रकबा 0.3098 हैक्टयर व वादी की आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1391 हैक्टयर जो कि एक ही नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा है, राजस्व कर्मचारीयो द्वारा गलत तौर पर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के अलग अलग बटा नम्बर कायम किये है, इस कारण से आराजी नम्बर 129/7, 129/6, 129/2 तीनो नम्बरो को संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा भूमि जिसमे वादी का 11 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 01 का 02 बीघा 09 बिस्वा के अनुसार हक हिस्सा दर्ज कराया जाने व पूर्व मे आराजी नम्बर 129/2 तरमीम है, उसी अनुसार उक्त तीनो नम्बरो को तरमीम करायी जाने की घौषणात्मक डिकी जारी करायी जायें।

प्रतिवादी संख्या 02 की और पैराकार सरकार ने अपनी बहस में तहसीलदार भीलवाडा से प्रस्तुत पत्र कमांक/विधि/2024/462 दिनांक 03.07.2024 में वर्णित जवाब को दोहराते हुये वादी के वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। वादी ने वादपत्र में संशोधित वादपत्र एवं सपठित धारा 129, 131, 136 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दी गई प्रतिवादी अधिवक्ता ने इस संशोधित वादपत्र पर आपत्ति प्रकट नहीं की है। वादी ने अपने वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड में ग्राम जीपिया की जमाबन्दी की नकलें एवं नामान्तकरणों की नकलें प्रस्तुत की है। जो शामिल पत्रावली है। वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 01 के ईकबालिया जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त जवाब का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का एवं राजस्व नक्शें का भली भांती परीक्षण किया गया। पत्रावली के एवं उपलब्ध दस्तावेजात के परीक्षण अनुसार प्रकरण में निम्न तथ्य पाये गये है।

वादग्रस्त जीपिया पटवार हल्का मालोला तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 129 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 03 बीघा भूमि आवंटन से श्री श्यामलाल आत्मज छीतरमल सरगरा सा0 हीराजी का खेडा के नाम दिनांक 02.02.1983 को आवंटन होकर रूक्का दिनांक 29.09.1991 से जारी होकर नामान्तकरण संख्या 132 दिनांक 22.02.1992 से आवंटी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई जिसके आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा दर्ज हुये शेष रकबा आराजी नम्बर 129मी रकबा 13-17 बीघा रहा। इस आराजी में से आवंटी से विकय होकर केतागण के नाम दर्ज हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

विकेता का नाम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल	नामा0 संख्या /स्वीकृत दि.	केता खातेदार का नाम
श्यामलाल आत्मज छीतरमल सरगरा निवासी हीराजी का खेडा	129मी. 129/2	16-17 बीघा 03 बीघा	132 दि0 22.02.1992 आवंटन से गैर खातेदारी दर्ज 257 दि0 01.01.2006 विकय से	रेखा पत्नी जगदीश जीनगर एवं लाड कवंर पत्नी गोपाल जीनगर के नाम दर्ज हुई
रेखा पत्नी जगदीश जीनगर एवं लाड कवंर पत्नी गोपाल जीनगर निवासी सुभाषनगर भील0	129/2	03 बीघा में से 0-11 बिस्वा	307 दि0 05.02.2011 विकय से	कालुराम आत्मज गिरधारीलाल नायक के नाम दर्ज हुई।
कालुराम आत्मज गिरधारीलाल नायक निवासी चपरासी कॉलोनी भील	129/2	0.1391 है0	330 दि0 18.06.2012 विकय से	गोपाललाल पिता छीतरमल बलाई सा0 धूलखेडा के नाम दर्ज हुई
गोपाललाल पिता छीतरमल बलाई सा0 धूलखेडा	129/2	0.1391 है0	462 दि0 16.05.2022 विकय से	कैलाश पिता रामप्रसाद खटीक सा. पन्नाधाय सर्किल आजादनगर भील0 के नाम दर्ज हुई

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम जीपिया के आराजी नम्बर 129/2 रकबा 03 बीघा में से 0-11 बीघा भूमि कैलाश पिता रामप्रसाद खटीक सा0 भीलवाडा के नाम विक्रय से दर्ज होकर शेष रकबा 02-09 बीघा भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

विक्रेता का नाम	आराजी नम्बर	क्षैत्रफल	नामा0 संख्या / स्वीकृत दिनांक	क्रेता खातेदार का नाम
श्यामलाल आत्मज छीतरमल सरगरा निवासी हीराजी का खेडा	129/6	02-09 बीघा	313 दि0 04.04.2011 विक्रय से	जगदीशचन्द्र आत्मज बद्रीलाल बलाई के नाम दर्ज हुई
जगदीशचन्द्र आत्मज बद्रीलाल बलाई निवासी सुवाणा	129/6	0.3098 है0	446 दि0 16.10.2021 विक्रय से	भागीरथ आत्मज चुन्नीलाल मोची के नाम दर्ज हुई
भागीरथ आत्मज चुन्नीलाल मोची निवासी शास्त्रीनगर भीलवाडा	129/6	0.3098 है0	493 दि0 19.07.2023 विक्रय से	सालगराम आत्मज उदयलाल मेघवाल सा0 झालावाड के नाम दर्ज हुई।
जगदीशचन्द्र आत्मज बद्रीलाल बलाई निवासी सुवाणा	129/6	02-09 बीघा में से 01-04-10 बीघा यानि 0.3098 है0	408 दि0 01.07.2017 उपहार से बक्षीस से	चान्दी देवी पत्नी जगदीशचन्द्र बलाई सा0 सुवाणा
चान्दीदेवी पत्नी जगदीशचन्द्र बलाई सा0 सुवाणा	129/7	0.3098 है0	447 दि0 16.10.2021 विक्रय से	कमला देवी पत्नी भागीरथ मोची सा0 भीलवाडा के नाम दर्ज हुई
कमला देवी पत्नी भागीरथ मोची सा0 शास्त्रीनगर भीलवाडा	129/7	0.3098 है0	481 दि0 08.05.2023 विक्रय से	अरूण कुमार पुत्र भागीरथ मोची सा0 भीलवाडा के नाम दर्ज हुई
अरूण कुमार पुत्र भागीरथ मोची सा0 शास्त्रीनगर भीलवाडा	129/7	0.3098 है0	492 दि0 19.07.2023 विक्रय से	सालगराम आत्मज उदयलाल मेघवाल सा0 झालावाड के नाम दर्ज हुई।

ग्राम जीपिया के आराजी नम्बर 129/2 क्षैत्रफल 0.1391 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 129/7 क्षैत्रफल 0.3098 हैक्टेयर भूमि सालगराम पुत्र उदयलाल मेघवाल सा0 झालावाड के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर राजस्व नक्शें में तरमीम 129/6 व 129/7 की गयी आराजी नम्बर 129/2 की चारलेन से ग्राम जीपिया में जाने वाले डामर रोड पी0डब्ल्यू0डी0 में राजस्व नक्शें में तरमीम कर दी गई है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि आराजी नम्बर 129/6 रकबा 0.3098 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 129/7 रकबा 0.3098 हैक्टेयर के साथ ही 129/2 क्षैत्रफल 0.1391 हैक्टेयर की तरमीम की जानी चाहिये थी।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी नकल, आराजी नम्बर 129/6, 129/7, 129/2 की प्रस्तुत की है। जिसमें आराजी नम्बर 129/6, 129/7 सालगराम पुत्र उदयलाल मेघवाल सा0 झालावाड खातेदार दर्ज है तथा आराजी नम्बर 129/2 क्षैत्रफल 0.1391 हैक्टेयर कैलाश पुत्र रामप्रसाद खटीक सा0 पन्नाधाय सर्किल आजादनगर भीलवाडा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। ग्राम जीपिया के पुराने नक्शें में आराजी नम्बर 129/1 व 129/2 के मध्य में 129मीन का क्षैत्रफल जो सडकनुमा अंकित है। वर्तमान में यू0आई0टी0 के नाम दर्ज है, आराजी नम्बर 129/6 व 129/7 एवं 459/129 के मध्य ग्राम जीपिया में जाने वाली मुख्य सड़क डामर रोड पी0डब्ल्यू0डी0 में वादी की आराजी नम्बर 129/2 की तरमीम कर दी गई है जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि वादी आराजी नम्बर 129/2 क्षैत्रफल 0.1391 हैक्टेयर का खातेदार दर्ज होकर राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 129/6, 129/7 के लगते हुये आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1391 हैक्टेयर तरमीम की जानी चाहिये थी वादी की आराजी नम्बर 129/2 की राजस्व नक्शें में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ए0 व सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ए0 व सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जीपिया में जाने वाली मुख्य सडक आराजी नम्बर 129/6 व 129/7 एवं 459/129 के मध्य फोरलेन से ग्राम जीपिया में जाने वाली मुख्य सड़क है इस सडक के आराजी नम्बर 129 में वादी की आराजी नम्बर 129/2 की तरमीम कर दी है जो त्रुटिपूर्ण है जिसे दुरूस्त करते हुये राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 129/6, 129/7 के लगते हुये वादी की आराजी नम्बर 129/2 क्षैत्रफल 0.1391 हैक्टेयर की राजस्व नक्शें में तरमीम की जावें एवं राजस्व नक्शें में जो आराजी नम्बर 129/2 की तरमीम की हुई है जिसे हटाकर मूल आराजी नम्बर 129 की तरमीम करें। राजस्व नक्शें में दुरूस्ती से वादी एवं प्रतिवादी के कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्ती करें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 70 / 2024

दायर दिनांक 27.03.2024

निर्णय दिनांक 18.12.2024

1. कैलाश खटीक पुत्र श्री रामप्रसाद खटीक, निवासी पन्नाधाय सर्किल, आजादनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

–– वादी

बनाम

1. सालगराम पुत्र श्री उदयलाल मेघवाल निवासी झालावाड (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
3. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाडा।

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 129, 131, 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता वादी श्री देईलाल रणवा

2–अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 श्री सुरेश व्यास।

3– प्रतिवादी संख्या 02 की और से पेरोकार सरकार।

वादी की और से अधिवक्ता श्री देईलाल रणवा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री सुरेश व्यास उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 18.12.2024 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ए0 व सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम जीपिया में जाने वाली मुख्य सडक आराजी नम्बर 129/6 व 129/7 एवं 459/129 के मध्य फोरलेन से ग्राम जीपिया में जाने वाली मुख्य सड़क है इस सडक के आराजी नम्बर 129 में वादी की आराजी नम्बर 129/2 की तरमीम कर दी है जो त्रुटिपूर्ण है जिसे दुरूस्त करते हुये राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 129/6, 129/7 के लगते हुये वादी की आराजी नम्बर 129/2 क्षेत्रफल 0.1391 हैक्टेयर की राजस्व नक्शें में तरमीम की जावें एवं राजस्व नक्शें में जो आराजी नम्बर 129/2 की तरमीम की हुई है जिसे हटाकर मूल आराजी नम्बर 129 की तरमीम करें। राजस्व नक्शें में दुरूस्ती से वादी एवं प्रतिवादी के कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्ती करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा